कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया।

अनुमंडल परिसर, खगड़िया (851204)

सूचना

खगड़िया जिले के विभिन्न सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गणित, भौतिकी, अंगेजी, रसायनशास्त्र, प्राणिशास्त्र और वनस्पतिशास्त्र विषय में अतिथि शिक्षक के रूप में सेवा देने हेतु इच्छुक अर्हताधारी अभ्यर्थी दिनांक–17.07.2023 से 20.07.2023 तक आवेदन पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 4:30 बजे तक की अवधि में कार्यालय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,(माध्यमिक शिक्षा) खगड़िया में जमा करा सकते हैं। समयावधि के समाप्ति के उपरान्त प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को आवेदित विषय में स्नातकोत्तर (न्युनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ) बी0एड0 की योग्यता होना अनिवार्य है। एस0टी0ई0टी0 (पेपर–2) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही आवेदन के साथ शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक अंक पत्र एवं प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, आवासीय प्रमाण–पत्र, EWS से संबंधित प्रमाण–पत्र एवं आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति अवश्य संलग्न करेंगे।

सुविधा के लिए निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार पटना के पत्रांक–400, दिनांक–12.07.2023, विभागीय अधिसूचना संख्या–51, दिनांक–25.01.2018 तथा विषयवार कोटिवार रिक्ति संलग्न है।

16.07.23

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
(मा0शि0) खगड़िया।

16.7.23

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
खगड़िया।

16.7.23

उच्च माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत जिला परिषद् एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय/राजकीयकृत/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर लेने हेतु आवेदन पत्र ।

आवेदन प्रपत्रः–

स्वअभिप्रमाणित फोटो

(क्रम संख्या):–

अतिथि शिक्षक उच्चतर माध्यमिक– प्रशिक्षित [ ] अप्रशिक्षित [ ]

1. जिला का नाम :–....................

2. विषय :–....................

3. अभ्यर्थी का नाम :–....................

4. (क) पिता का नाम :–....................

(ख) माता का नाम :–....................

5. जन्म तिथि :–....................

6. लिंग :– पुरुष [ ] महिला [ ]

7. 1 ली जनवरी को आयु :– वर्ष [ ] माह [ ] दिन [ ]

8. स्थाई पता– ग्राम/मोहल्ला/सड़क/शहर....................

....

....

थाना.................... जिला.................... पिन कोड....................

मोबाईल नं0.................... ई–मेल....................

9. पत्राचार का पता– ग्राम/मोहल्ला/सड़क/शहर....................

....

....

थाना.................... जिला.................... पिन कोड....................

10. कोटिः– सामान्य [ ] आरक्षित [ ]

11. आरक्षण की कोटिः– अ0जा0 [ ] अ0ज0जा0 [ ] अ0पि0व0 [ ] पि0व0 [ ]
आर्थिक रूप से कमजोर [ ]

12. यदि विकलांग हो तो–दृष्टि बाधित [ ] श्रवण बाधित [ ] अस्थिजन्य निःशक्त [ ]

योग्यता–

शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक योग्यता	विद्यालय / महाविद्यालय का नाम	बोर्ड / परिषद या वि0वि0 का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	अध्ययन का विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
माध्यमिक							
उच्चतर माध्यमिक							
स्नातक							
स्नातकोत्तर							
एम0टेक0							
बी0एड0							

13. (क) एस0टी0ई0टी0 उत्तीर्णता का वर्ष एवं क्रमांक :– ....

(ख) एस0टी0ई0टी0 का उत्तीर्णता का प्राप्तांक एवं प्रतिशत :– ....

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सभी सूचनायें सही है। किसी प्रकार की सूचना गलत पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी रद्द करते हुए अन्य आवश्यक कानूनी कारवाई की जा सकेगी।

स्थान.................................... आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर

तिथि....................................

प्राप्ति रसीद

श्री / सुश्री / श्रीमती.. विषय.................................
से माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित / राजकीय / राजकीयकृत / राष्ट्रीयकृत / राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर सेवा लेने हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त किया गया, जिसकी प्राप्ति संख्या............. है।

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर, पूरा नाम एवं पदनाम

पत्रांक : 09/वि0वि0प0रा0-09/2015 ..4.0.0..
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव,
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी।

पटना, दिनांक ..12./.07./.2023.

विषय : राज्य के सभी जिलों में अवस्थित विभिन्न कोटि के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित पारिश्रमिक पर अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने के संबंध में।

प्रसंगः विभागीय पत्रांक 371 दिनांक 03.07.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा राज्य के सभी जिलों में अवस्थित विभिन्न कोटि के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित पारिश्रमिक पर अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने का निदेश देते हुए जिलावार रिक्ति अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषयों के लिए समेकित रूप से उपलब्ध कराया गया है। संदर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये जिलावार रिक्ति के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या-51 दिनांक 25.01.2018 द्वारा किये गये प्रावधान के अनुरूप शिक्षक नियोजन होने तक निर्धारित पारिश्रमिक पर अपने आवश्यकतानुसार विषयों के लिए अतिथि शिक्षकों की सेवा लिये जाने की कार्रवाई पूर्ण करने के लिए समय तालिका निम्नवत निर्धारित की जाती है :-

क्रमांक	गतिविधि	निर्धारित तिथि
1	संकल्प में अंकित विषयों के लिए अतिथि शिक्षक की सेवा लेने हेतु उपलब्ध करायी गयी रिक्ति के अधीन विद्यालयों से अधियाचना प्राप्त किया जाना।	12 जुलाई, 2023 से 14 जुलाई, 2023
2	विद्यालयों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर उपलब्ध कराये के रिक्त पदों का सामूहिकीकरण कर रोस्टर तैयार किया जाना।	15 जुलाई, 2023 तक
3	आरक्षण रोस्टर का अनुमोदन।	16 जुलाई, 2023 तक
4	जिलावार विज्ञापन का प्रकाशन जिला स्तर से किया जाना।	17 जुलाई, 2023 को
5	प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त किया जाना।	17 जुलाई, 2023 से 20 जुलाई, 2023 तक
6	मेधा सूची तैयार करना।	21 जुलाई, 2023 को
7	मेधा सूची का प्रकाशन।	22 जुलाई, 2023 को
8	मेधा सूची पर आपत्ति।	24 जुलाई, 2023 को
9	आपत्तियों का निराकरण।	25 जुलाई, 2023 को
10	मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन।	26 जुलाई, 2023 को
11	अंतिम मेधा सूची के आलोक में चयनित अभ्यर्थियों से विकल्प प्राप्त करना।	27 जुलाई, 2023 से 28 जुलाई, 2023 तक
12	चयनित अभ्यर्थियों से प्राप्त विकल्प के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को विद्यालय आवंटित करना।	29 जुलाई, 2023 तक
13	संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा अतिथि शिक्षको आमंत्रित कर योगदान कराना।	30 जुलाई, 2023 से 31 जुलाई, 2023 तक

विभागीय पत्रांक 371 दिनांक 03.07.2023 तथा जिलावार उपलब्ध करायी गयी रिक्ति की प्रति विभागीय वेबसाईट www.educationbihar.gov.in पर भी देखा या डाउन लोड किया जा सकता है।

(कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

ज्ञापांक : 09 / बि0वि0प0स0–09 / 2015 400 पटना, दिनांक 12/07/2023

प्रतिलिपि: सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक / सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मा0) / सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) / आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

(5)

पत्रांक : 09/बि0वि0प0स0–09/2015 ...371

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव,
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी।

पटना, दिनांक ...03.07.23

विषय : राज्य के सभी जिलों में अवस्थित विभिन्न कोटि के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित पारिश्रमिक पर सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि राज्य के सभी जिलों से प्राप्त सूचना अनुसार विभागीय संकल्प संख्या–51 दिनांक 25.01.2018 में किये गये प्रावधान के तहत अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषय के लिए कुल–3144 अतिथि शिक्षक विभिन्न कोटि के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित पारिश्रमिक पर सेवा दे रहे है।

ज्ञातव्य हो कि विभागीय संकल्प संख्या–51 दिनांक 25.01.2018 द्वारा किये गये प्रावधानानुसार संदर्भित विषयों के लिए स्वीकृत एवं रिक्त 4257 पदों पर अतिथि शिक्षको की सेवा ली जानी है, जिसके विरूद्ध वर्तमान में 3144 अतिथि शिक्षक सेवा दे रहे है तथा 1113 रिक्तियों उपलब्ध हैं।

उपरोक्त विषयों में शिक्षकों की कमी को ध्यान में रखते हुए छात्रहित में सम्यक विचारोपरान्त निम्नांकित निदेश दिया जा रहा है :–

(i) संलग्न जिलावार रिक्ति के तहत अपने जिले में अवस्थित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषय के लिए आवश्यकतानुसार अतिथि शिक्षकों की सेवा विभागीय संकल्प संख्या–51 दिनांक 25.01.2018 में किये गये प्रावधानों के तहत लेना सुनिश्चित करें।

(ii) किसी भी परिस्थिति में आपके जिला के लिए उपलब्ध रिक्ति से अधिक अतिथि शिक्षक की सेवा नहीं ली जाए।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/- 3/7/23

(कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

विभागीय संकल्प सं0–51 दिनांक 25.01.2018 में किये गये प्रावधान के तहत अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषयों के लिए अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने हेतु आवंटित जिलावार रिक्ति।

क्र0	जिला का नाम	आवंटित रिक्ति
1	पटना	51
2	नालन्दा	34
3	भोजपुर	32
4	बक्सर	19
5	रोहतास	34
6	भभुआ	20
7	गया	45
8	जहानाबाद	12
9	अरवल	9
10	नवादा	25
11	औरंगाबाद	28
12	मुजफ्फरपुर	50
13	सितामढ़ी	34
14	शिवहर	7
15	वैशाली	37
16	पू0 चम्पारण	52
17	प0 चम्पारण	40
18	सारण	43
19	सिवान	38
20	गोपालगंज	29
21	दरभंगा	41
22	मधुबनी	50
23	समस्तीपुर	48
24	सहरसा	20
25	सुपौल	23
26	मधेपुरा	22
27	पूर्णियां	32
28	अररिया	28
29	किशनगंज	17
30	कटिहार	31
31	भागलपूर	34
32	बांका	24
33	मुंगेर	17
34	शेखपुरा	8
35	लखीसराय	12
36	जमुई	21
37	खगड़िया	16
38	बेगूसराय	31
	कुल	1113

पत्रांक : 09/वि०वि०प०स०-09/2015 ....

Annexure-1

(32)

बिहार सरकार,

शिक्षा विभाग।

संकल्प

विषय : राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय/राजकीयकृत/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन होने तक स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषय के लिए अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर उपलब्ध कराने की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय, राजकीयकृत एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी, गणित भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषयों के सहायक शिक्षकों की आवश्यकतानुसार अनुपलब्धता के कारण उच्च माध्यमिक कक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम विशेषतः अंग्रेजी, गणित भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषय के सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के अध्यापन कार्य को पूरा करने के लिए अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर लिया जाना आवश्यक है।

2. वर्तमान में राज्य के राजकीय, राजकीयकृत एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निम्न तालिका अनुसार विषयवार पद रिक्त हैं :–

क्र०सं०	विषय	रिक्त पदों की संख्या
1	अंग्रेजी	1041
2	गणित	791
3	भौतिकी	1024
4	रसायनशास्त्र	974
5	प्राणीशास्त्र	137
6	वनस्पतिशास्त्र	290
	कुल:–	4257

3. राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय/राजकीयकृत/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन होने तक स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषय के लिए अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त रिक्त पदों पर राज्य के अर्हताधारी बेरोजगार युवक/युवतियों की सेवा अतिथि शिक्षक के रूप में ली जायेगी। इसके लिए निर्धारित अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निर्दिष्ट विषय में 50 % अंकों के साथ स्नातकोत्तर की योग्यता तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम लागू होने के पूर्व मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से बी०एड० अथवा अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से बी०एड० की डिग्री। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (पेपर–II) में उत्तीर्णता प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

परन्तु गणित, भौतिकी एवं रसायनशास्त्र विषयों के लिए योग्य अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की स्थिति में अर्हता न्यूनतम 55 % अंकों के साथ बी0टेक0 अथवा एम0टेक0 की होगी।

अतिथि शिक्षक की सेवा स्वीकृत पद के विरूद्ध आरक्षण नियमों का पालन करते हुए ली जायेगी। इसके लिए विद्यालयवार रिक्त पदों का सामूहीकीकरण कर आरक्षण रोस्टर बनाकर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से उस पर अनुमोदन प्राप्त किया जायगा। विषयवार रिक्ति की गणना के आधार पर संबंधित विद्यालय के तदर्थ समिति की अधियाचना पर व्यापक प्रचार–प्रसार के मद्देनजर संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुमोदन से संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक अतिथि शिक्षक की सेवा ले सकेंगे। यदि अतिथि शिक्षक के रूप में सेवा देने वाले व्यक्ति का कार्यकलाप असंतोषजनक पाया जाता है तो विद्यालय की तदर्थ समिति सक्षम प्राधिकार (जिला शिक्षा पदाधिकारी) का अनुमोदन लेकर अतिथि शिक्षक को कार्यमुक्त कर सकेगी।

5. राजकीय, राजकीयकृत एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में सेवा देने वाले अतिथि शिक्षक विद्यालय के लिए शिक्षक के नियोजन होने तक कार्यरत रहेंगे।

6. उच्च माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी, गणित भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषयों के पाठ्यक्रम को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराने के पश्चात् ही अपेक्षित परिणाम की आशा की जा सकती है। विद्यालयों में वर्त्तमान छात्र संख्या को दृष्टिपथ में रखते हुए अतिथि शिक्षकों को ₹1000/–प्रति कार्य दिवस की दर से अधिकतम 25 दिन अर्थात् ₹25000/–प्रतिमाह पारिश्रमिक निर्धारित किया जाता है।

7. राजकीय/राजकीयकृत एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराये जाने वाले अतिथि शिक्षकों के पारिश्रमिक का भुगतान मांग संख्या–21 के अन्तर्गत विपत्र कोड–2202021090001 के विषय शीर्ष–2802 संविदा सेवायें में उपबंधित राशि से किया जायेगा। इसके लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा संबंधित विद्यालय से प्राप्त मांग पत्र के अनुरूप आवंटन संबंधित विद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी तथा विद्यालय के माध्यम से ही ऐसे अतिथि शिक्षकों को पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा।

8. संबंधित उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य अपने विद्यालय में सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों की सूची बैंक खाता संख्या एवं कार्य दिवस की गणना के साथ संगत शीर्ष से राशि की निकासी कर RTGS के माध्यम से संबंधित अतिथि शिक्षक के खाते में राशि अन्तरित करेंगे।

9. वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

10. सामान्य प्रशासन विभाग की अनापत्ति संसूचित है।

11. मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(रॉबर्ट एल० चोंग्थू)
सचिव,
शिक्षा विभाग।

30

ज्ञापांक : 09/बि०वि०प०सं०–09/2015 .... पटना, दिनांक 2018

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सचिव,
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक : 09/बि०वि०प०सं०–09/2015 .... पटना, दिनांक 2018

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, पटना के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उपकोषागार पदाधिकारी/सभी उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी अवकाश रक्षित पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा/प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा/सहायक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सचिव,
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक : 09/बि०वि०प०सं०–09/2015 ..51.. पटना, दिनांक ..15-01-..2018

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि गजट के आगामी असाधारण अंक में इसे प्रकाशित कर इसकी 100 (एक सौ) प्रतियाँ उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सचिव,
शिक्षा विभाग।

E:\Sankalp 2017-18\Govt.-Har-Ltr SS teacher Availiblity Sankalp 2017-18.12

कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया।

राजकीय /राजकीयकृत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित पारिश्रमिक पर अतिथि शिक्षक–2023
35% महिला का क्षैतिज आरक्षण के साथ रोस्टर समाशोधन
विषयवार, कोटिवार रिक्ति।

जिला–खगड़िया

क्र0	विषय	कुल रिक्त पद	अना0 UR	अना0 महिला UR(F)	आर्थिक रूप से कमजोर EWS	आर्थिक रूप से कमजोर महिला EWS(F)	अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC	अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला EBC (F)	पिछड़ा वर्ग BC	पिछड़ा वर्ग महिला BC (F)	अनु0 जाति SC	अनु0 जाति महिला SC (F)	अनु0 जनजाति ST	अनु0 जनजाति महिला ST (F)	आरक्षित श्रेणी की महिला RF	कुल	अभ्युक्ति (क्षैतिज आरक्षण)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	गणित	5	2	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	5	
2	भौतिकी	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	
3	अंग्रेजी	3	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
4	रसायनशास्त्र	3	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
5	प्राणीशास्त्र	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
6	वनस्पतिशास्त्र	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
कुल संख्या :–		16	6	3	0	0	4	0	0	1	0	2	0	0	0	16	

1. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के अधिसूचना संख्या–11/आ0नी0-I-10/2015/2526 दिनांक 18.02.2016 के अनुसार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी को नियुक्ति में 2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा :– रोस्टर विन्दु 1–50 तक में 01 पद एवं 51 से 100 तक में 01 पद कुल 02 पद।

2. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के अधिसूचना संख्या–11/आ0नी0-I-06/2017 सा0 प्रा0 962 दिनांक 22.01.2021 के अनुसार आदर्श रोस्टर के आलोक में दिव्यांगता को 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण निम्नांकित श्रृखला के अंतर्गत देय होगा :–

क. अंध और निम्न दृष्टि दिव्यांगता – रोस्टर विन्दु 1–25 तक = 01 पद
ख. वधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास दिव्यांगता – रोस्टर बिन्दु 26–50 तक = 01 पद
ग. चलंत दिव्यांगता – रोस्टर बिन्दु 51–75 तक = 01 पद
घ. मनोविकार दिव्यांगता – रोस्टर बिन्दु 76–100 तक = 01 पद

16.07.23

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा, खगड़िया।

16.7.23

16.7.23

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
खगड़िया।

कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या–11/आ0नी0–1–03/2019/2622 दिनांक–26.02.2019 एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक–400, दिनांक–12.07.2023 के आलोक में सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित पारिश्रमिक पर अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने हेतु रोस्टर निर्माण।

1. विभाग/कार्यालय का नाम :– शिक्षा/कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़े वर्ग की महिला के आरक्षण रोस्टर क्रियान्वित करने के लिए रखे जाने वाले रोस्टर का फॉम।

(क) मूल वेतन :– अनुबंध मानदेय (ख) पदनाम :– अतिथि शिक्षक (ग) विषय :– रसायनशास्त्र

3. स्थायी/अस्थायी गैर योजना कुल स्वीकृत पद :–03

4. पिछले वर्षों से अग्रनीत (कैरी फारवर्ड) की गई भर्ती का विवरण :- 12

क्र० सं०	आरक्षित															भर्ती का वर्ष	रोस्टर बिन्दु और संख्या	सामान्य या लागू किए जाने वाले रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अ०पि०व०/पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए आरक्षित	नियुक्त कर्मी का नाम	नियुक्ति तिथि	क्या अनु० जाति/अनु० जन जाति/अ०पि०व०/पि०व०/पि० वर्ग की महिला का है यदि नहीं तो लिखे पाँचों मे से कोई नहीं	यदि आरक्षित पद पर गैर आरक्षित उम्मीदवार नियुक्त हुआ तो क्यों कार्मिक विभाग की सहमति ली गई	नियुक्ति/ अभ्युक्ति प्राधिकारी या अन्य अधिसूचित पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति (महिला)	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जनजाति (महिला)	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला)	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग (महिला)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (महिला)	पिछड़ा वर्ग की महिला	अनारक्षित	अनारक्षित (महिला)	दिव्यांगजन	स्वतंत्रता सेनानी के नाती/पोता हेतु आरक्षण									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1												अनारक्षित				2023	13	अनारक्षित						
2					अ0पि0व0											2023	14	अ0पि0व0						
3													अनारक्षित (महिला)			2023	15	अनारक्षित (महिला)						
	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0									

1 समेकन रोस्टर :– अनारक्षित – 01, अनारक्षित (महिला) – 01, अत्यंत पिछड़ा वर्ग –01, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला) –0, अनुसूचित जाति –0, अनुसूचित जाति (महिला) –0, पिछड़ा वर्ग –0 , पिछड़ा वर्ग (महिला) –0 , आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग –0 , आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (महिला) –0 , अनुसूचित जन जाति – 0, अनुसूचित जन जाति (महिला)–0, पिछड़ें वर्गों की महिला –0

2 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के अधिसूचना संख्या–11/आ0नी0-I-10/2015/2526 दिनांक 18.02.2016 के अनुसार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी को नियुक्ति में 2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा :– रोस्टर विन्दु 1–50 तक में 01 पद एवं 51 से 100 तक में 01 पद कुल 02 पद।

3 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के अधिसूचना संख्या–11/आ0नी0-I-06/2017 सा0 प्रा0 962 दिनांक 22.01.2021 के अनुसार आदर्श रोस्टर के आलोक में दिव्यांगता को 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण निम्नांकित श्रृखला के अंतर्गत देय होगा :–

क. अंध और निम्न दृष्टि दिव्यांगता – रोस्टर विन्दु 1–25 तक = 01 पद

ख. वधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास दिव्यांगता – रोस्टर बिन्दु 26–50 तक = 01 पद

ग. चलंत दिव्यांगता – रोस्टर बिन्दु 51–75 तक = 01 पद

घ. मनोविकार दिव्यांगता – रोस्टर बिन्दु 76–100 तक = 01 पद

16.07.23

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा, खगड़िया।

16-7-23

16.7.23

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
खगड़िया।

कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या–11/आ0नी0–1–03/2019/2622 दिनांक–26.02.2019 एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक–400, दिनांक–12.07.2023 के आलोक में सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित पारिश्रमिक पर अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने हेतु रोस्टर निर्माण।

1. विभाग/कार्यालय का नाम :– शिक्षा/कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़े वर्ग की महिला के आरक्षण रोस्टर क्रियान्वित करने के लिए रखे जाने वाले रोस्टर का फॉम।

(क) मूल वेतन :– अनुबंध मानदेय (ख) पदनाम :– अतिथि शिक्षक (ग) विषय :– अंग्रेजी

3. स्थायी/अस्थायी गैर योजना कुल स्वीकृत पद :-03

4. पिछले वर्षो से अग्रनीत (कैरी फारवर्ड) की गई भर्ती का विवरण :- 12

क्र० सं०	आरक्षित															भर्ती का वर्ष	रोस्टर बिन्दु और संख्या	सामान्य या लागू किए जाने वाले रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अ०पि०व०/पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए आरक्षित	नियुक्त कर्मी का नाम	नियुक्ति तिथि	क्या अनु० जाति/अनु० जन जाति/अ०पि०व०/पि०व०/पि० वर्ग की महिला का है यदि नहीं तो लिखें पाँचों मे से कोई नहीं	यदि आरक्षित पद पर गैर आरक्षित उम्मीदवार नियुक्ति हुआ तो क्यों कार्मिक विभाग की सहमति ली गई	नियुक्ति/ अभ्युक्ति प्राधिकारी या अन्य अधिसूचित पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति (महिला)	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जनजाति (महिला)	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला)	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग (महिला)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (महिला)	पिछड़ा वर्ग की महिला	अनारक्षित	अनारक्षित (महिला)	दिव्यांगजन	स्वतंत्रता सेनानी के नाती/पोता हेतु आरक्षण									
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**
1												अनारक्षित				**2023**	**13**	अनारक्षित						
2					अ0पि0व0											**2023**	**14**	अ0पि0व0						
3													अनारक्षित (महिला)			**2023**	**15**	अनारक्षित (महिला)						
	0	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**									

1 समेकन रोस्टर :– अनारक्षित – 01, अनारक्षित (महिला) – 01, अत्यंत पिछड़ा वर्ग –01, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला) –0, अनुसूचित जाति –0, अनुसूचित जाति (महिला) –0, पिछड़ा वर्ग –0 , पिछड़ा वर्ग (महिला) –0 , आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग –0 , आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (महिला) –0 , अनुसूचित जन जाति – 0, अनुसूचित जन जाति (महिला)–0, पिछड़ें वर्गों की महिला –0

2 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के अधिसूचना संख्या–**11/आ0नी0-I-10/2015/2526** दिनांक 18.**02.2016** के अनुसार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी को नियुक्ति में 2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा :– रोस्टर विन्दु 1–50 तक में 01 पद एवं 51 से 100 तक में 01 पद कुल 02 पद।

3 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के अधिसूचना संख्या–**11/आ0नी0-I-06/2017** सा0 प्रा0 **962** दिनांक 22.01.2021 के अनुसार आदर्श रोस्टर के आलोक में दिव्यांगता को 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण निम्नांकित श्रृखला के अंतर्गत देय होगा :–

क. अंध और निम्न दृष्टि दिव्यांगता – रोस्टर विन्दु 1–25 तक = 01 पद

ख. वधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास दिव्यांगता – रोस्टर बिन्दु 26–50 तक = 01 पद

ग. चलंत दिव्यांगता – रोस्टर बिन्दु 51–75 तक = 01 पद
घ. मनोविकार दिव्यांगता – रोस्टर बिन्दु 76–100 तक = 01 पद

16.07.23

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा, खगड़िया।

16.7.23

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
खगड़िया।

16.7.23

कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या–11/आ0नी0–1–03/2019/2622 दिनांक–26.02.2019 एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक–400, दिनांक–12.07.2023 के आलोक में सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित पारिश्रमिक पर अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने हेतु रोस्टर निर्माण।

1. विभाग/कार्यालय का नाम :– शिक्षा/कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़े वर्ग की महिला के आरक्षण रोस्टर क्रियान्वित करने के लिए रखे जाने वाले रोस्टर का फॉम।

(क) मूल वेतन :– अनुबंध मानदेय (ख) पदनाम :– अतिथि शिक्षक (ग) विषय :– प्राणीशास्त्र

3. स्थायी/अस्थायी गैर योजना कुल स्वीकृत पद :–01

4. पिछले वर्षो से अग्रनीत (कैरी फारवर्ड) की गई भर्ती का विवरण :–01

	आरक्षित																							
क्र० सं०	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति (महिला)	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जनजाति (महिला)	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला)	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग (महिला)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (महिला)	पिछड़ा वर्ग की महिला	अनारक्षित	अनारक्षित (महिला)	दिव्यांगजन	स्वतंत्रता सेनानी के नाती/पोता हेतु आरक्षण	भर्ती का वर्ष	रोस्टर बिन्दु और संख्या	सामान्य या लागू किए जाने वाले रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अ०पि०व०/पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए आरक्षित	नियुक्त कर्मी का नाम	नियुक्ति तिथि	क्या अनु० जाति/अनु० जन जाति/अ०पि०व०/पि०व०/पि० वर्ग की महिला का है यदि नहीं तो लिखें पांचों मे से कोई नहीं	यदि आरक्षित पद पर गैर आरक्षित उम्मीदवार नियुक्ति हुआ तो क्यों कार्मिक विभाग की सहमति ली गई	नियुक्ति/ अभ्युक्ति प्राधिकारी या अन्य अधिसूचित पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1					अ0पि0व0											2023	2	अ0पि0व0						
	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									

1 समेकन रोस्टर :– अनारक्षित – 0, अनारक्षित (महिला) – 0, अत्यंत पिछड़ा वर्ग –01, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला) –0, अनुसूचित जाति –0, अनुसूचित जाति (महिला) –0, पिछड़ा वर्ग –0 , पिछड़ा वर्ग (महिला) –0 , आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग –0 , आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (महिला) –0 , अनुसूचित जन जाति – 0, अनुसूचित जन जाति (महिला)–0, पिछड़े वर्गों की महिला –0

2 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के अधिसूचना संख्या–11/आ0नी0-I-10/2015/2526 दिनांक 18.02.2016 के अनुसार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी को नियुक्ति में 2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा :– रोस्टर विन्दु 1–50 तक में 01 पद एवं 51 से 100 तक में 01 पद कुल 02 पद।

3 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के अधिसूचना संख्या–11/आ0नी0-I-06/2017 सा0 प्रा0 962 दिनांक 22.01.2021 के अनुसार आदर्श रोस्टर के आलोक में दिव्यांगता को 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण निम्नांकित श्रृखला के अंतर्गत देय होगा :–

क. अंध और निम्न दृष्टि दिव्यांगता – रोस्टर विन्दु 1–25 तक = 01 पद

ख. वधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास दिव्यांगता – रोस्टर बिन्दु 26–50 तक = 01 पद

ग. चलंत दिव्यांगता – रोस्टर बिन्दु 51–75 तक = 01 पद
घ. मनोविकार दिव्यांगता – रोस्टर बिन्दु 76–100 तक = 01 पद

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा, खगड़िया।

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
खगड़िया।

कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या–11/आ0नी0–1–03/2019/2622 दिनांक–26.02.2019 एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक–400, दिनांक–12.07.2023 के आलोक में सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित पारिश्रमिक पर अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने हेतु रोस्टर निर्माण।

1. विभाग/कार्यालय का नाम :– शिक्षा/कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़े वर्ग की महिला के आरक्षण रोस्टर क्रियान्वित करने के लिए रखे जाने वाले रोस्टर का फॉम।

(क) मूल वेतन :– अनुबंध मानदेय **(ख) पदनाम :– अतिथि शिक्षक** **(ग) विषय :– भौतिकी**

3. स्थायी/अस्थायी गैर योजना कुल स्वीकृत पद :-03

4. पिछले वर्षो से अग्रनीत (कैरी फारवर्ड) की गई भर्ती का विवरण :- 08

	आरक्षित																							
क्र० सं०	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति (महिला)	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जनजाति (महिला)	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला)	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग (महिला)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (महिला)	पिछड़ा वर्ग की महिला	अनारक्षित	अनारक्षित (महिला)	दिव्यांगजन	स्वतंत्रता सेनानी के नाती/पोता हेतु आरक्षण	भर्ती का वर्ष	रोस्टर बिन्दु और संख्या	सामान्य या लागू किए जाने वाले रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अ०पि०व०/पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए आरक्षित	नियुक्त कर्मी का नाम	नियुक्ति तिथि	क्या अनु० जाति/अनु० जन जाति/अ०पि०व०/पि०व०/पि० वर्ग की महिला का है यदि नहीं तो लिखें पांचों मे से कोई नहीं	यदि आरक्षित पद पर गैर आरक्षित उम्मीदवार नियुक्ति हुआ तो क्यों कार्मिक विभाग की सहमति ली गई	नियुक्ति/ अभ्युक्ति प्राधिकारी या अन्य अधिसूचित पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1													अनारक्षित (महिला)			2023	9	अनारक्षित (महिला)						
2		अनु0 जाति0 (महिला)														2023	10	अनु0 जाति0 (महिला)						
3												अनारक्षित				2023	11	अनारक्षित						
	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0									

1 समेकन रोस्टर :– अनारक्षित – 01, अनारक्षित (महिला) – 01, अत्यंत पिछड़ा वर्ग –0, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला) –0, अनुसूचित जाति –0, अनुसूचित जाति (महिला) –01, पिछड़ा वर्ग –0 , पिछड़ा वर्ग (महिला) –0 , आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग –0 , आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (महिला) –0 , अनुसूचित जन जाति – 0, अनुसूचित जन जाति (महिला)–0, पिछड़ें वर्गों की महिला –0

2 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के अधिसूचना संख्या– 11/आ0नी0-I-10/2015/2526 दिनांक 18.02.2016 के अनुसार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी को नियुक्ति में 2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा :– रोस्टर विन्दु 1–50 तक में 01 पद एवं 51 से 100 तक में 01 पद कुल 02 पद।

3 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के अधिसूचना संख्या– 11/आ0नी0-I-06/2017 सा0 प्रा0 962 दिनांक 22.01.2021 के अनुसार आदर्श रोस्टर के आलोक में दिव्यांगता को 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण निम्नांकित श्रृखला के अंतर्गत देय होगा :–

क. अंध और निम्न दृष्टि दिव्यांगता – रोस्टर विन्दु 1–25 तक = 01 पद

ख. वधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास दिव्यांगता – रोस्टर बिन्दु 26–50 तक = 01 पद

ग. चलंत दिव्यांगता – रोस्टर बिन्दु 51–75 तक = 01 पद
घ. मनोविकार दिव्यांगता – रोस्टर बिन्दु 76–100 तक = 01 पद

16.07.23

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा, खगड़िया।

16.7.23

16.7.23

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
खगड़िया।

कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या–11/आ0नी0–1–03/2019/2622 दिनांक–26.02.2019 एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक–400, दिनांक–12.07.2023 के आलोक में सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित पारिश्रमिक पर अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने हेतु रोस्टर निर्माण।

1. विभाग/कार्यालय का नाम :– शिक्षा/कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़े वर्ग की महिला के आरक्षण रोस्टर क्रियान्वित करने के लिए रखे जाने वाले रोस्टर का फॉम।

(क) मूल वेतन :– अनुबंध मानदेय **(ख) पदनाम :– अतिथि शिक्षक** **(ग) विषय :– वनस्पतिशास्त्र**

3. स्थायी/अस्थायी गैर योजना कुल स्वीकृत पद :-01

4. पिछले वर्षो से अग्रनीत (कैरी फारवर्ड) की गई भर्ती का विवरण :- 04

	आरक्षित																							
क्र० सं०	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति (महिला)	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जनजाति (महिला)	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला)	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग (महिला)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (महिला)	पिछड़ा वर्ग की महिला	अनारक्षित	अनारक्षित (महिला)	दिव्यांगजन	स्वतंत्रता सेनानी के नाती/पोता हेतु आरक्षण	भर्ती का वर्ष	रोस्टर बिन्दु और संख्या	सामान्य या लागू किए जाने वाले रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अ०पि०व०/पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए आरक्षित	नियुक्त कर्मी का नाम	नियुक्ति तिथि	क्या अनु० जाति/अनु० जन जाति/अ०पि०व०/पि०व०/पि० वर्ग की महिला का है यदि नहीं तो लिखें पांचों मे से कोई नहीं	यदि आरक्षित पद पर गैर आरक्षित उम्मीदवार नियुक्ति हुआ तो क्यों कार्मिक विभाग की सहमति ली गई	नियुक्ति/ अभ्युक्ति प्राधिकारी या अन्य अधिसूचित पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**
1												अनारक्षित				**2023**	**5**	अनारक्षित						
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**									

1 समेकन रोस्टर :– अनारक्षित – 01, अनारक्षित (महिला) – 0, अत्यंत पिछड़ा वर्ग –0, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला) –0, अनुसूचित जाति –0, अनुसूचित जाति (महिला) –0, पिछड़ा वर्ग –0 , पिछड़ा वर्ग (महिला) –0 , आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग –0 , आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (महिला) –0 , अनुसूचित जन जाति – 0, अनुसूचित जन जाति (महिला)–0, पिछड़े वर्गों की महिला –0

2 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के अधिसूचना संख्या– 11/आ0नी0-I-10/2015/2526 दिनांक 18.02.2016 के अनुसार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी को नियुक्ति में 2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा :– रोस्टर विन्दु 1–50 तक में 01 पद एवं 51 से 100 तक में 01 पद कुल 02 पद।

3 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के अधिसूचना संख्या– 11/आ0नी0-I-06/2017 सा0 प्रा0 962 दिनांक 22.01.2021 के अनुसार आदर्श रोस्टर के आलोक में दिव्यांगता को 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण निम्नांकित श्रृखला के अंतर्गत देय होगा :–

क. अंध और निम्न दृष्टि दिव्यांगता – रोस्टर विन्दु 1–25 तक = 01 पद

ख. वधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास दिव्यांगता – रोस्टर बिन्दु 26–50 तक = 01 पद

ग. चलंत दिव्यांगता – रोस्टर बिन्दु 51–75 तक = 01 पद
घ. मनोविकार दिव्यांगता – रोस्टर बिन्दु 76–100 तक = 01 पद

16.07.17

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा, खगड़िया।

16.7.23

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
खगड़िया।

16.7.23

कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या–11/आ0नी0–1–03/2019/2622 दिनांक–26.02.2019 एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक–400, दिनांक–12.07.2023 के आलोक में सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित पारिश्रमिक पर अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने हेतु रोस्टर निर्माण।

1. विभाग/कार्यालय का नाम :– शिक्षा/कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़े वर्ग की महिला के आरक्षण रोस्टर क्रियान्वित करने के लिए रखे जाने वाले रोस्टर का फॉम।

(क) मूल वेतन :– अनुबंध मानदेय (ख) पदनाम :– अतिथि शिक्षक (ग) विषय :– गणित

3. स्थायी/अस्थायी गैर योजना कुल स्वीकृत पद :–05

4. पिछले वर्षो से अग्रनीत (कैरी फारवर्ड) की गई भर्ती का विवरण :– 09

क्र० सं०	आरक्षित															भर्ती का वर्ष	रोस्टर बिन्दु और संख्या	सामान्य या लागू किए जाने वाले रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अ०पि०व०/पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए आरक्षित	नियुक्त कर्मी का नाम	नियुक्ति तिथि	क्या अनु० जाति/अनु० जन जाति/अ०पि०व०/पि०व०/पि० वर्ग की महिला का है यदि नहीं तो लिखें पांचों मे से कोई नहीं	यदि आरक्षित पद पर गैर आरक्षित उम्मीदवार नियुक्ति हुआ तो क्यों कार्मिक विभाग की सहमति ली गई	नियुक्ति/ अभ्युक्ति प्राधिकारी या अन्य अधिसूचित पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति (महिला)	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जनजाति (महिला)	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला)	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग (महिला)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (महिला)	पिछड़ा वर्ग की महिला	अनारक्षित	अनारक्षित (महिला)	दिव्यांगजन	स्वतंत्रता सेनानी के नाती/पोता हेतु आरक्षण									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1		अनु0 जाति0 (महिला)														2023	10	अनु0 जाति0 (महिला)						
2												अनारक्षित				2023	11	अनारक्षित						
3								पि0व0 (महिला)								2023	12	पि0व0 (महिला)						
4												अनारक्षित				2023	13	अनारक्षित						
5					अ0पि0व0											2023	14	अ0पि0व0						
	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0									

1 समेकन रोस्टर :– अनारक्षित – 02, अनारक्षित (महिला) – 0, अत्यंत पिछड़ा वर्ग –01, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला) –0, अनुसूचित जाति –0, अनुसूचित जाति (महिला) –01, पिछड़ा वर्ग –0 , पिछड़ा वर्ग (महिला) –01 , आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग –0 , आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (महिला) –0 , अनुसूचित जन जाति – 0, अनुसूचित जन जाति (महिला)–0, पिछड़े वर्गों की महिला –0

2 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के अधिसूचना संख्या– 11/आ0नी0-I-10/2015/2526 दिनांक 18.02.2016 के अनुसार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी को नियुक्ति में 2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा :– रोस्टर विन्दु 1–50 तक में 01 पद एवं 51 से 100 तक में 01 पद कुल 02 पद।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के अधिसूचना संख्या– 11/आ0नी0-I-06/2017 सा0 प्रा0 962 दिनांक 22.01.2021 के अनुसार आदर्श रोस्टर के आलोक में दिव्यांगता को 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण निम्नांकित श्रृखला के अंतर्गत देय होगा :–

क. अंध और निम्न दृष्टि दिव्यांगता – रोस्टर बिन्दु 1–25 तक = 01 पद

ख. वधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास दिव्यांगता – रोस्टर बिन्दु 26–50 तक = 01 पद

ग. चलंत दिव्यांगता – रोस्टर बिन्दु 51–75 तक = 01 पद
घ. मनोविकार दिव्यांगता – रोस्टर बिन्दु 76–100 तक = 01 पद

16.7.23

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा, खगड़िया।

16.7.23

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
खगड़िया।

16.7.23